भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2016

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालय

+2016. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव वाले जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में से एनएमसी द्वारा अनुमोदित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा और इन चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में किसी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अनुमति पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के

लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में निधि साझा करने की व्यवस्था है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में मंजूरी दी गई है। इस योजना का चरण-III अगस्त, 2019 में शुरू किया गया था। इस चरण के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से पिदुगुराल्ला, पाडेरू, मछलीपट्टनम, एलुरु, मरकापुरम (प्रकाशम जिला), पुलिवेंदुला (वाईएसआर कडप्पा जिला) और विजयनगरम में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के सात प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन में से पिदुगुराल्ला, पाडेरू और मछलीपट्टनम में मेडिकल कालेज स्थापित करने के तीन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों (10 सरकारी और 3 निजी) ने पिछले 5 वर्षों में अनुमति पत्र (एलओपी) के लिए एनएमसी के पास आवेदन किया, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेजों (5 सरकारी और 1 निजी) को एलओपी दी गई। ऐसे मेडिकल कॉलेजों का विवरण अनुलग्नक में है।

दिनांक 2.8.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित

अनुलग्नक

गत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य से अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले कालेजों का ब्यौरा

क्रम संख्या	कॉलेज का नाम	अनुमति पत्र दिया गया अथवा नहीं
1.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, विजयनगरम	हां
2.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, एलुरु	हां
3.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, नंद्याल	हां
4.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, राजामहेंद्रवरम	हां
5.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मछलीपट्टनम	हां
6.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मार्कपुर	नहीं
7.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, पडेरू	नहीं
8.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मदनपल्ले	नहीं
9.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अदोनी	नहीं
10.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, पुलिवेंदुला	नहीं
11.	श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, चित्तूर	हां
12.	आरवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चित्तूर	नहीं
13.	अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुत्तूर मंडल	नहीं

*****